नगर पालिका की मांग

मसूदा, (निसं)। मसूदा को नगर पालिका बनवाने की मांग को लेकर मसूदा ग्राम पंचायत के वार्डपंचों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड़ अधिकारी को ज्ञापन सौपा। मसूदा ग्राम पंचायत के वार्डपंचों जसराज पवार, जितेंद्र सैनी, अनिल कुमार, राकेश जीनगर व सतु भील सहित वार्ड पंचों ने मांग की है।

भाजपा महिला मोर्चा का सम्मेलन

- महिला चाहे तो देश की दिशा बदल सकती है : वर्मा
- महिलाओं के बिना नहीं हो सकता समाज परिवर्तन : भदेल

अजमेर, (कासं)। अजमेर दक्षिण विधानसभा द्वारा बीजेपी महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रुप में दिल्ली लक्ष्मीनगर विधानसभा के विधायक अभय वर्मा रहे। मुख्य वक्ता वर्मा ने सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है।

हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। वैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। इस प्रकार आज महिला पूरे समाज की दिशा बदल सकती है।

उन्होने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजनीति का क्षेत्र इतिहास से वर्तमान तक पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है। कभी भी इस पर महिलाओं का एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ। राजनीति घरेलू चारदिवारी से बाहर निकल समाज को संचालित करने वाली, दिशा देने का कार्य करती है। विश्व के हर कोने में पूरे समाज में राजनीतिक पदों पर पुरुषों को ही देखा गया। लेकिन आज भारत में राजनीति का क्षेत्र हो या उद्योग हो या फिर आज चांद तक पहुचने की बात हो महिला आगे बढ़ चुकी है, महिला टेट्रन चला रही है, प्लेन उडा रही है, राजनीति में अपना वर्चस्व पुरुषो के बराबर रख रही है। पहले का समय था जब महिला को घर से बाहर नही निकलने दिया जाता था लेकिन आज महिला हर जगह अपनी भागीदारी निभा रही है साथ उच्च पदो पर सुशोभित है।

इस अवसर पर विधानसभा संयोजक राजेश घाटे, पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सीमा गोस्वामी, मंजू शर्मा, कृष्णा सुचेता, मनीषा गौड, रीना कुश्वाहा, बीना टांक, सीलम बैरवा, अंजना शेखावत, गीता जांगिड, ज्योति लालवानी, काजल जेठवानी, पुष्पा सिंह, रेनु शर्मा, हेमलता शर्मा, मधु भारद्वाज, भावना चौहान, सावित्री शर्मा, सुनिता पंवार, किरण तुनगरिया, रोशन राठौड, संतोष महेश्वरी, वंदना सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रही।

राजपूत राजनीतिक चेतना शिविर आज

पुष्कर, (निसं)। पुष्कर के जयमल कोट में कल राजपूत राजनीतिक चेतना शिविर आयोजित किया जायेगा ,जिसमे राजनैतिक, सामाजिक,लोकतांत्रिक हकों के लिए चिन्तन होगा । पुष्कर विधान सभा का चुनाव इस बार रोचक होने वाला है। क्योंकि अजमेर के जिला प्रमुख भंवर सिंह पलाड़ा भी अब कूद पड़े है। पलाड़ा पूर्व में भी यहां से चुनाव लड़ चुके है।

राजपूत एकता मंच के प्रदेश युवा संयोजक शिव प्रताप सिंह पलाड़ा ने कहा कि समाज में राजनीतिक चेतना का संचार होना बहुत आवश्यक है और लोकतंत्र में हमें अपनी ताकत राजनीतिक दलों को समय-समय पर दिखानी चाहिए।शिविर की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया संयोजक गजेंद्र सिंह ने बताया कि राजपुत एकता मंच के प्रदेश युवा संयोजक शिव प्रताप सिंह पलाड़ा ,राजपुत एकता मंच के प्रदेश संयोजक व राजस्थान क्षत्रिय महासभा के पूर्व महासचिव दशरथ सिंह सकराय ,राजस्थान क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष भगवान सिंह मझेवला, ठाकुर भंवर सिंह मझेवला, दातार सिंह ,क्षत्रिय राजपूत विवाह समारोह समिति के सत्यनारायण सिंह कड़ेल,चांद सिंह राठौड सहित समाज के प्रबुद्ध लोगों ने क्षेत्र के सभी गांवों मे जन संपर्क कर चिंतन शिविर मे आने हेतु आमंत्रण दिया। डूंगरिया कलां ,रेवत, मझेवला, खोरी, कंवलाई, देवनगर सहित अनेक गांवों मे संपर्क करके राजपूत सरदारों, क्षत्राणियों, युवा और छात्र शक्ति को शिविर मे पधारने का आमंत्रण दिया गया।इस दौरान कान सिंह लेसवा,मांगु सिंह खोरी, ,दान सिंह कंवलाई, सुरेंद्र सिंह रेंवत,हेम सिंह, दातार सिंह, नाथू सिंह, महावीर सिंह ,मोहब्बत सिंह ,गुड्डू बना ,सुरेंद्र सिंह सहित अनेक राजपूत सरदार उपस्थित रहे।

पदोन्नति समिति बैठक आयोजित

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ.जसवंत सिंह राठी की अध्यक्षता में बुधवार को कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग से संबंधित पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक के पदों के लिए वर्ष 2023-24 के प्रकरणों पर विचार के लिए नियमित डीपीसी तथा सहायक निदेशक पदों के वर्ष 2022-23 के प्रकरणों के लिए डैफर एवं 2017-18 के प्रकरणों के लिए रिव्यू डीपीसी का आयोजन किया गया। बैठक में शासन सचिव कौशल नियोजन व अन्य मौजूद रहे।

अवैध बजरी दोहन व परिवहन को रोकने के लिए यज्ञ किया

भीलवाड़ा, (निसं)। प्रदेश में हो रहे अवैध बजरी दोहन व परिवहन को लेकर नागरिक अधिकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज आर के कॉलोनी, स्थित तालाब की पाल पर चामुंडा माता मंदिर पर सदबुद्धि महायज्ञ किया। जिले में बजरी का ठेका नहीं होने के बावजूद भी खनिज विभाग पूर्व के ठेकेदारों की मदद से अवैध खनन भारी मात्रा में करवा रहे हैं, खनिज विभाग द्वारा बजरी एवं खनन माफिया से मिलकर हमेशा करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान किया जा रहा है, खनिज विभाग में प्रशासन की मिलीभगत से अवैध बजरी दोहन परिवहन से राजस्व को नुकसान के साथ-साथ पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है यह सब संबंधित विभाग की मिली भगत से हो रहा है। नदियों की वास्तविक स्थिति को बिना ठेके के खनन करना कानूनी अपराध है परंतु खनिज विभाग के अनदेखी से फर्जी टोकन सिस्टम के कारण माफिया करोड़ों की वसूली परिवहन करने वाले उपभोक्ताओं व वाहन वालों से कर रहे हैं। खनिज विभाग के रसीद के बिना हजारों ट्रैक्टर, डंपर, ट्राले खनन कर अवैध परिवहन कर रहे हैं परंतु प्रशासन व विभाग आंखें बंद करके देख रहा है।

अवैध बजरी परिवहन व दोहन को रोकने की मांग को लेकर आज आर.के. कॉलोनी नेहरू गार्डन के पास चामुंडा माता मंदिर पर नागरिक अधिकार मोर्चा के संयोजक महेंद्र श्रोत्रिय के नेतृत्व में मंत्री अमन शर्मा, उपाध्यक्ष विश्वनाथ गर्ग, सचिव अंकित शर्मा, विजेंद्र सिंह राठौड़, अनिकेत पारीक श्रीनिवास, जगदीश ओझा, अक्षय शर्मा, जगदीश बाहेती, शिवकुमार शर्मा, प्रेम सिंह, माधु रैगर, भैरूलाल जाट, विकास यादव, अंजली शर्मा, मनोज श्रोत्रिय, राजु शर्मा, सुधाकर शर्मा, योगेश विजयवर्गीय, पंकज दाधिच, राजेश शर्मा, शुभम नराणिया, शीतल शर्मा, वंदना, सीमा सहित सभी ने चामुंडा माता मंदिर पर इकट्ठे होकर सद्बुद्धि महायज्ञ किया और खनिज विभाग व प्रशासन को नींद से जगाने के लिए भगवान से प्रार्थना की सद्बुद्धि यज्ञ किया। खनिज विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस पारदर्शी सरकार को बदनाम व राजस्व नुकसान करने में लगे हुए इसके लिए संभागीय आयुक्त उदयपुर व राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को आमजन द्वारा सैंकड़ों हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया जाएगा तथा आगामी दिनों में रणनीति तैयार कर भीलवाड़ा से जयपुर तक पैदल मार्च किया जाएगा।

हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल पार्सल बंदियों तक पहुंचाने की कोशिश

- अज्ञात व्यक्ति ने जेल के अंदर फैंका पैकेट
- पैकेट में मोबाइल, चार्जर व तम्बांकू पुड़िया जब्त

अजमेर, (कासं)। प्रदेश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 10 फीट की दीवार से मोबाइल पार्सल अंदर फेंकने की कोशिश का मामला सामने आया है। पार्सल दीवार और इलेक्ट्रिक तारों से टकराकर नीचे गिर गया। मोबाइल मिलने के बाद से जेल में तैनात जवानों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जेल प्रशासन ने पार्सल पैकेट जब्त कर सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने बुधवार को सिविल लाइन थाने में शिकायत देकर बताया कि गोपनीय सूचना प्राप्त हुई की जेल की मुख्य दीवार के पास टावर संख्या एक और पत्थरों के बीच में पार्सल खाकी कलर के टेप से लपेटा हुआ लावारिस पड़ा मिला। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लावारिस पार्सल को उठाकर जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ को सूचना दी गई। खोलकर देखा तो पार्सल में मोबाइल बरामद हुआ है। बंदियों तक मोबाइल पहुंचने के लिए बाहरी व्यक्ति ने ये पार्सल फेंकने का प्रयास किया था। लेकिन दीवार और इलेक्ट्रॉनिक तारों से टकराकर पार्सल नीचे गिर गया, जेल प्रशासन की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने कारागृह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने कहा कि कैंपस से मोबाइल बरामद हुआ है। मामले में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसे लेकर के जांच की जा रही है। किसी भी जवान की भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञापन सौंपा

अजमेर, (कासं)। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के आहवान पर भारत के प्रत्येक जिलों में जिलाधीश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नाम ऊर्जा उद्योग की समस्याओं के निराकरण के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन समस्याओं की निराकरण की मांग की।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तरधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एल-76 एल-77 क्षेत्रफल 100 वर्ग गज आवंटी/अन्तरिति श्री /सुश्री/श्रीमती अनामिका बागडी पत्नी सुभाष बागडी एवं सुभाष बागडी पुत्र छोटूलाल बागडी निवासी जवाहर नगर लोहागल रोड अजमेर में सें सुभाष बागडी की मृत्यु दिनांक 24/05/2015 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः श्री/सुश्री/श्रीमती अनामिका बागडी पत्नी सुभाष बागडी एवं श्रीमती माही बागडी पुत्री सुभाष बागडी निवासी जवाहर नगर लोहागल रोड अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ज्वाला प्रसाद नगर योजना के आवासीय भुखण्ड संख्या एल-6 क्षेत्रफल 50.0 गज के आवंटी श्री जितेन्द्र कुमार मित्तल पुत्र श्री सत्यनारायण मित्तल निवासी 243 राम गली हाथीभाटा, अजमेर की मृत्यु दिनांक 11/04/2023 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः 1. सुश्री श्रेयांसी मित्तल 2. प्रख्यात मित्तल पुत्र/पुत्री श्री जितेन्द्र कुमार मित्तल निवासी 243 राम गली हाथीभाटा, अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमती दीप्ती मित्तल पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार मित्तल निवासी 243 राम गली हाथीभाटा, अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 14/08/2023 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे। उक्त नियत अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की गैर चौरसियावास योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 4, 5, 6 क्षेत्रफल 200, 200, 213 वर्गगज के आवंटी श्रीमती उषा चौहान पत्नि श्री संतोष चौहान निवासी म.नं. 45 केन्द्रिय विद्यालय गणेश मार्ग शिव कॉलोनी कुन्दन नगर, अजमेर की मृत्यु दिनांक 27/11/2020 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः 1.श्री सूरज सिंह चौहान पुत्र श्री संतोष चौहान शिव कॉलोनी कुन्दर नगर 2. श्रीमती अनुभा तंवर पत्नि श्री कुनाल तंवर निवासी 72/32 सावर हाउस श्रीनगर रोड अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री संतोष चौहान पुत्र श्री विपिन चन्द चौहान निवासी निवासी म.नं. 45 शिव कॉलोनी कुन्दन नगर, अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 01/09/2023 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे। उक्त नियत अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की हरिभाउ उपाध्याय नगर विस्तार योजना के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 42 क्षेत्रफल 213.33 वर्ग गज आवंटी/अन्तरिति श्री दौलत सिंह सैनी पुत्र नाथूलाल सैनी एवं वीना सैनी पत्नि दौलत सिंह सैनी निवासी 42 हरिभाउ उपाध्याय नगर विस्तार अजमेर की मृत्यु क्रमशः दिनांक 05/04/2021 एवं 10/05/2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः श्री/सुश्री/श्रीमती अर्पित सैनी पुत्र/पुत्री/पत्नि दौलत सिंह सैनी एवं हर्षित सैनी पुत्र/पुत्री/पत्नि दौलत सिंह सैनी निवासी 42 हरिभाउ उपाध्याय नगर विस्तार अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय - मैसर्स शान्ति मार्बल्स, F-16 इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बिदियाद

(पंजीबद्ध भागीदारी फर्म) पंजीयन संख्या 17/20/97/83)

आम सूचना अन्तर्गत धारा 72 भारतीय भागीदारी अधिनियम

हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि पंजीबद्ध भागीदारी फर्म मैसर्स शान्ति मार्बल्स F-16 इण्डस्ट्रीय ऐरिया बिदियाद (जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस नागौर के कार्यालय मे पंजीयन संख्या 17/20/97/83 पर पंजीबद्ध है) में दिनांक 11-06-2023 को 2 नये भागीदार श्री सुशील कुमार बंग कपिल बंग पुत्रगण स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश बंग सभी जाति महेश्वरी निवासी आदित्य मिल ऑफिसर कॉलोनी गली नम्बर 6 नियम गंगा विध्या मन्दिर स्कुल अजमेर रोड़ किशनगढ़ जिला अजमेर स्टेट राजस्थान प्रविष्ट हुये है तथा 1 भागीदार श्री ओमप्रकाश बंग पुत्र स्वर्गीय श्री दशरथ जी की मृत्यु दिनांक 11-06-2023 को हुई हैं तथा इसके फलस्वरूप संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 17-09-2023 को गठित कर निष्पादित कर ली गयी है। उक्त संशोधित भागीदारी डीड में किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपति हो तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस नागौर के कार्यालय मे प्रकाशन के सात दिवस मे आपति प्रस्तुत करें।

प्रारूप 10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय-नगर परिषद केकड़ी जिला केकड़ी

क्रमांक/नपके/कृ.भू.रू/2023-24/4147 दिनांक: 27/09/2023

मामला सं. लोक सूचना

श्री दिनेश स्वरूप मेवाड़ा पुत्र श्री जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, श्रीमती रेखा मेवाड़ा पत्नि दिनेश स्वरूप मेवाड़ा निवासी केकड़ी तहसील जिला केकडी (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषि (अकृषि) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है-

तहसील और जिले का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
सरवाड़ - केकड़ी	राजस्व ग्राम डोराई	खसरा नं. 447/370	कुल 2.0300 हैक्टर में से 20300.00 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27-09-2023 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मुहर

कार्यालय ग्राम पंचायत अरांई पं.स. अरांई जिला अजमेर (राज.)

क्रमांक: ग्रा.प.अ/2023-24/पट्टा आपत्ति/151 दिनांक: 27/09/2023

सार्वजनिक आपत्ति आवंटन सूचना

ग्राम पंचायत अरांई के समस्त निवासीगण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार सूची में आवेदनकर्ताओं के द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत अरांई के पट्टे हेतु आवेदन किया गया है पुश्तैनी पट्टा नियम 157(i) व अन्य नियमों के तहत रियायती दर व डीएलसी दरों पर नियमन 167(i) के तहत पट्टे जारी किए जाने है।

क्र.सं.	नाम मय पिता	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	मुकेश/युगल किशोर कलवार	आम रास्ता	चंदा खटीक	स्वयं	नेराज भील
2.	मुकेश कलवार /युगल किशोर कलवार	--//--	--//--	रास्ता	स्वयं

उपरोक्तानुसार सूची अनुसार आवेदनकर्ताओं को नियमानुसार पट्टे जारी किया जाना प्रस्तावित है, अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो विज्ञप्ति जारी होने के एक माह के भीतर कार्यालय ग्राम पंचायत में बैद्य दस्तावेज के साथ कार्यालय समय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी तथा आवेदनकर्ता को पट्टा जारी कर दिया जाएगा। अतः सूचित रहे।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अरांई, पं. स. अरांई (अजमेर) सरपंच ग्राम पंचायत अरांई, पं. स. अरांई (अजमेर)

कार्यालय नगर पालिका आसीन्द जिला भीलवाडा (राज.)

क्रमांक: न.पा.आ/लोक सूचना/2023-24/3827 लोक सूचना दिनांक: 27/09/2023

अधोहस्ताक्षरकर्ता को राजस्व ग्राम-आसीन्द के निम्नांकित खातेदारों ने राजस्व ग्राम-रघुनाथपुरा पटवार हल्का- प्रतापपुरा जिला-भीलवाडा (राज.) ने कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजन आवासीय/व्यवसायिक/संस्थानिक / उपयोग करने के लिये ऐसी भूमि के अपने अभिधृत को निर्वापन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	प्र.सं. व वर्ष	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	प्रयोजन
1.	---- 2023-24	श्रीमती मैनादेवी पत्नी श्री मोतीलाल रेगर निवासी जयसिंहपुरा तह. बदनोर	3781	रकबा 0.0700 है. में से 0.0350 है.	आवासीय प्रयोजनार्थ

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने औश्र अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ....-9-2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आसीन्द

कार्यालय नगर पालिका आसीन्द जिला भीलवाडा (राज.)

क्रमांक: न.पा.आ/लोक सूचना/2023-24/3832 लोक सूचना दिनांक: 27/09/2023

अधोहस्ताक्षरकर्ता को राजस्व ग्राम-आसीन्द के निम्नांकित खातेदारों ने राजस्व ग्राम-रघुनाथपुरा पटवार हल्का- प्रतापपुरा जिला-भीलवाडा (राज.) ने कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजन आवासीय/व्यवसायिक/संस्थानिक / उपयोग करने के लिये ऐसी भूमि के अपने अभिधृत को निर्वापन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	प्र.सं. व वर्ष	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	प्रयोजन
1.	---- 2023-24	श्री श्रवण भील पुत्र श्री घन्नराम भील निवासी आसीन्द	3792	कुल किता 01 रकबा 0.03 है.	आवासीय प्रयोजनार्थ

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने औश्र अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ....-9-2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आसीन्द

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

भीलवाड़ा रोड रोडवेज बस स्टेण्ड के पास

E-Mail ID-eombgbp@yahoo.in and npbgulabpura@gamil.com Teliphone No. 01483-223079

- आपत्ति आमन्त्रण सूचना-

क्रमांक: न0पा0गु0/2023/986-988 दिनांक 22/9/2023

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 24.09.1998 को राजस्व ग्राम गुलाबपुरा की आराजी नं. 104 सोदान जी की नाडी में स्थित भूखण्ड संख्या 4 व 15 कुल क्षेत्रफल 377.77 वर्गगज का पट्टा श्री अलीम खां पुत्र श्री अब्दुल खां कायमखानी निवासी गुलाबपुरा, तहसील- हुरड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी किया गया। बाद वसीयत नामा के आधार पर श्री फिरोज खां पुत्र श्री मांगू खां कायमखानी के नाम किया गया। बाद श्री फिरोज खां पुत्र श्री मांगू खां कायमखानी ने बख्शीस नामा के आधार पर श्री शहबाद खान पुत्र श्री मांगू खां के नाम किया गया। श्री शहबाद खान पुत्र श्री मांगू खां निवासी मोदी पैलेस के पास, राजीव कॉलोनी गुलाबपुरा, तहसील-हुरडा, जिला-भीलवाड़ा ने आराजी नं. 104 सोदान जी की नाडी में स्थित भूखण्ड संख्या 4 व 15 साईज 40×85 = 3400 वर्गफीट, क्षेत्रफल 377.77 वर्गगज पट्टे का हस्तान्तरण अपने नाम से किये जाने हेतु भूखण्ड सम्बन्धित दस्तावेज पेश कर आवेदन पालिका में प्रस्तुत किया है। अतः इस बाबत् किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय सबूत के अन्दर मियाद 07 दिवस में पालिका में प्रस्तुत कर सकते है। बाद समयावधि कोई आपति मान्य नहीं होगी एवं श्री शहबाद खान पुत्र श्री मांगू खां निवासी मोदी पैलेस के पास, राजीव कॉलोनी गुलबपुरा, तहसील-हुरडा, जिला-भीलवाड़ा ने आराजी नं. 104 सोदान जी की नाडी में स्थित भूखण्ड संख्या 4 व 15 साईज 40×85=3400 वर्गफीट, क्षेत्रफल 377.77 वर्गगज पट्टे का हस्तान्तरण किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाकर आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा

नाम परिवर्तन

मेरा आर्मी सर्विस नं. 14668480F रैंक- Hav नाम -NAGARAJU CHENNU पता- Vill & post - GUDDIKAYALANKA तह. REPALLE जिला GUNTUR, Andra Pradesh हैं, मेरे आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम VENKATA BASAVA KUMARI दर्ज है जो गलत है, भविष्य में मेरी पत्नी को CHENNU BASAVAKUMARI के नाम से जाना जाए। शपथ पत्र सं. BL 458801 दिनांक. 27.09.2023

आम सूचना

मेरे पिता उगमाराम पुत्र भेरू जाति भील निवासी ग्राम दादिया की मृत्यु दिनांक 07-02-2022 को मेरे निवास स्थान ग्राम दादिया में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत दादिया में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे पिताजी उगमा भील का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस किसी को आपति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। बाद मियाद कोई भी आपति स्वीकार नहीं होगी।

-प्रार्थी भागचन्द पुत्र उगमा भील निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई (अजमेर)

आम सूचना

मेरी छोटी पत्नि रतना जाति भील निवासी ग्राम दादिया की मृत्यु दिनांक 17-08-2021 को मेरे निवास स्थान ग्राम दादिया में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत दादिया में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी मां छोटी भील का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस किसी को आपति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। बाद मियाद कोई भी आपति स्वीकार नहीं होगी।

-प्रार्थी भागचन्द भील पुत्र गोपी भील निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई (अजमेर)

आम सूचना

मेरे भाई मंगल पुरी पुत्र छोटू पुरी जाति गुसाई (गोस्वामी) निवासी ग्राम काकलवाडा की मृत्यु दिनांक 25-05-1998 को मेरे निवास स्थान ग्राम काकलवाडा में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग